राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1220/2023

राकेश सोनी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : स्वयं, उपस्थित

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 30.06.2020 (अनुलग्नक–1) जिसमें अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) से वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, को चुनौती दी गई। प्रस्तुत अपील के अनुसार यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 166(1) और संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत अधिसूचित रूल्स ऑफ बिजेनस के नियम 11 का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक आदेश को राज्यपाल के नाम से जारी करना अनिवार्य है, इस प्रकार यह आदेश अमान्य (Null and void) है और निष्पादन योग्य आदेश नहीं हैं। इसके अलावा यह आदेश कार्मिक विभाग अधिसूचित डीपीसी 2003 के नियम की धारा 12–14 और परिपत्र दिनांक 04.06.2008 का उल्लंघन करते हुए और आरपीएससी नियम 1951 की धारा 10 के संदर्भ में आरपीएससी की अनिवार्य मंजूरी लिए बिना जारी किया गया है। नियुक्ति प्राधिकारी इंजीनियरों के लिए राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा नियमों के तहत अधिसूचित डीपीसी की सलाहकार समिति की सिफारिश पर रफ नोट के आधार पर जारी किया गया है। इसे डीपीसी के सदस्य सचिव ने एआरडी द्वारा जारी सचिवालय मैनुअल में निर्धारित कार्यालय प्रक्रिया के अनुसार इसे कभी जारी नहीं किया, और इस प्रकार पदोन्नति आदेश अवैध और प्रभाव शून्य है। इसके साथ ही यह आदेश अजित सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.09.1999 (अनुलग्नक–2) के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 16.1 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि पदोन्नति के लिए विचार करने के अधिकार का बिना किसी कारण के उल्लंघन किया गया है जबकि

अपीलार्थी इस हेतु पात्र था। इस प्रकार अपीलार्थी को न तो पदोन्नत किया गया है और न ही पदोन्नति इन्कार करने का कोई कारण दर्ज किया गया है, जबकि उससे कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में पदोन्नति आदेश अवैध और शून्य है। विभाग द्वारा वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पदों हेतु स्वीकृत सर्विस स्ट्रेन्थ एवं काडर आदेश एआरडी के परिपत्र दिनांक 03.10.1987 (अनुलग्नक–3) के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समीक्षा कैडर समिति की अभिशंषा नहीं प्राप्त कर जारी किया है। यह इंजीनियरों के लिए पीडब्ल्यूडी सेवा नियम 1954 का स्पष्ट उल्लंघन है। पीडब्ल्यूडी द्वारा रिक्तियों का निर्धारण आदेश जारी नहीं किया गया है, जो कि इंजीनियरों के लिए पीडब्ल्यूडी सेवा नियम 1954 के अनुसार अनिवार्य है और इस प्रकार पीडब्ल्यूडी के अलावा अन्य संस्थाओं जैसे सोसायटी और कंपनी, बोर्ड आदि के विभिन्न पदों को शामिल करके मनमाने ढंग से रिक्त पद आ गए हैं। जिसके लिए डीओपी ने माननीय राज्यपाल की मंजूरी से नियम अधिसूचित नहीं किए हैं। इस प्रकार सेवा नियमों के तहत अपेक्षित अनिवार्य शक्ति और कैडर आदेश और रिक्ति आदेश के निर्धारण की अनुपस्थिति के संदर्भ में इंजीनियरों के लिए पीडब्ल्यूडी सेवा नियम 1954 का उल्लंघन करते हुए पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा यह आदेश 11 मई 2020 से 18 मई 2020 (अनुलग्नक–4 से 9) तक ईमेल के माध्यम से पीडब्ल्यूडी प्रशासन को अपीलार्थी द्वारा भेजे गए वरिष्ठता आपत्ति सह कानूनी नोटिस पर कार्रवाई किए बिना जारी किया गया है और इस प्रकार यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के नियम विरूद्ध है। डीपीसी से पहले वरिष्ठता निर्धारण का प्रकरण सक्षम आदेश द्वारा निस्तारण किया जाना जरूरी है। इस अवैध पदोन्नति आदेश के लिए पीडब्ल्यूडी और अन्य को दिनांक 30 जून 2020 (अनुलग्नक–10) को कानूनी नोटिस दिया गया था, लेकिन इसे दुर्भावनापूर्ण रूप से राज्य वादकरण नीति के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई और अब तक ठंडे बस्ते में रखा गया है, जो न्याय से मना करने का नैतिक कदाचार है। अपीलार्थी को अपने से कनिष्ठ कार्मिकों जिनको पदोन्नत कर दिया के अधीन काम करना पड रहा है। इससे अपीलार्थी को प्रतिदिन असम्मान का सामना करना पड़ता है एवं इस अन्याय से उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा अपीलार्थी ने 15 मार्च 2021 को अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों से प्रार्थना की, आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया (प्रदर्शन–11)। संविधान के अनुच्छेद 16.1 और 13 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के मद्देनजर इस प्रार्थना पर सीमा का कानून लागू नहीं होता है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने 8 फरवरी 2018 से मई 2021 (प्रदर्शन –12) और 1 अगस्त 2021 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक बिना किसी वैध कारण के वेतन का भुगतान नहीं किया है (प्रदर्शन–13)। पंजीकृत कानूनी प्रोफेशनल भी भारी अनियमित शुल्क ले रहे हैं, जिसे राज्य पुनर्भुगतान के लिए स्वीकार नहीं करता है और इस प्रकार सक्षम पंजीकृत कानूनी प्रोफेशनल की सेवाएं लेने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधित

है। साथ ही यह अवैध पदोन्नति आदेश एक स्पष्ट धोखाधड़ी है जिससे राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ है और इसकी जांच की जानी चाहिए। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 30.06.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। THE RAJASTHAN CIVIL SERVICES (SERVICE MATTERS APPELLATE TRIBUNALS) ACT, 1976 की धारा 9 के अंतर्गत 6 माह की अवधि में अपील दायर करने का प्रावधान है। प्रस्तुत अपील अत्यंत विलंब अवधि से प्रस्तुत की गई है। अतः इस आधार पर अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है। साथ ही अपील का पैरावाईज जवाब भी प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब पर अपीलार्थी द्वारा जवाब–उल–जवाब (Re-Joinder) प्रस्तुत किया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिजोईन्डर का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से प्रस्तुत जवाब में यह आपत्ति की गई है कि RCSAT ACT 1976 की धारा 9 के अन्तर्गत 6 माह की अवधि में अपील दायर करने का प्रावधान है। यह अपील आदेश दिनांक 30.06.2020 के विरूद्ध अत्यंत विलंब से प्रस्तुत करने के आधार पर अपील खारिज करने का निवेदन किया। अतः हम अपील के गुणावगुण पर विचार करने से पहले मियाद के बिंदु पर विचार करना आवश्यक समझते हैं।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संयुक्त शासन सचिव पीडब्ल्यूडी आदेश संख्या एफ.1(16) पी.डब्ल्यू/20 (आरके) दिनांक 30.06.2020 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 की अधीक्षण अभियंता (सिविल) की रिक्तियों के विरूद्ध जारी पदोन्नति आदेश है।

अपीलार्थी ने इस आलोच्य आदेश के संबंध में प्रस्तुत अपील में निम्न अनुतोष चाहा हैः–

> (a.) Declare this promotion order as null and void in view of the violation of the Article 166(1) of the Constitution and Rule 11 of the Rule of Business of the State notified under Article 166 of the Constitution.
>
> (b.) Declare this promotion order as null and void in view of the violation of the Fundamental Right Conferred by the Constitution vide Article 13, 14 & 16 of the Constitution to the undersigned.
>
> (c.) Declare this promotion order as null and void in view of the violation of the Section 10 of the RPSC Rule 1951, Violation of the Article 320 of the Constitution and also violation of.
>
> (d.) Declaration this Promotion Order null and void in context of the Violation of the PWD Service Rule for Engineers 1954 in context of the absence of the Strength and Cadre Order and Determination of Vacancy

Order by the PWD Administration Consistent with the Finance Department sanctioned post exclusively for PWD function.

(e.) Recover all Pay and Pension released to candidates who were accorded illegal Promotion through this illegal Order in compliance of the Finance Department Circular No.F.9(14)FD/Rules/2005/Pt dated 22 July 2014 issued in compliance of the Supreme court Judgment in Chandi Prasad Uniyal versus State of Uttarakhand State & ors dated 17 Aug 2012.

(f.) Recommend Disciplinary Action against Officials of the PWD RPSC, for will full not processing the legal Notice served in the matter by undersigned in violation of the State Litigation Policy and Supreme Court Judgment in SALEM Versus Union of India & CS Circular dated 19 June 2015.

(g.) Issue direction to the appointing authority to redo all exercise of Compliance of the PWD Service Rule for Engineers 1954 by determination of Strength of Cadre of PWD consistent with Finance Department Sanctioned post for PWD Function exclusively and also issue determination of legitimate vacancy Order for initiation of Promotion Process as laid down in PWD Service Rules for Engineers 1954 and DPC Rule 2003 and DPC Circular 2008 and RPSC Rule 1951 & Article 320 of the Constitution.

(h.) Issue direction to the Pr. Secretary Law Department to notify the fees of the law Professional in pursuance of the Article 227(3) of the Constitution in consultation with the High Court Administration so that Public Servant can avail the services of choice of pleader without any financial restriction.

(i.) Issue Direction to the Pr. Secretary DOP for conduct of Enquiry for non payment of salary to undersigned and book the delinquent officials in view of inhuman act and deprive all rights to seek justice before the Tribunal.

(j.) Issue Direction to the Secretary RSPC to secure compliance of the Section 10 of the RPSC Rule 1951 and Article 320 of the Constitution by conduct of Examination of the Candidates for appointment to various posts of the State."

अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 30.06.2020 के संबंध में यह अपील अधिकरण में दिनांक 05.04.2023 को प्रस्तुत की गई अर्थात आलोच्य आदेश के लगभग 2 वर्ष 9 माह बाद अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा इस असाधारण विलंब के संबंध में अपील के साथ विलंब अवधि को माफ करने के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया एवं इस विलंब को स्पष्ट नहीं किया है।

अपीलार्थी ने अपील के बिंदु संख्या–J में LAW OF LIMITATION ACT के संबंध में निम्न अंकित किया है:–

The law of Limitation does not attract on this prayer in view of guaranteed Fundamental Right vide article 16.1 & 13 and also officials of the PWD did not pay the salary from 8 Feb 2018 to May 2021 (Exhibit-12) and also from 1 Aug 2021 to 31 Dec 2021 (Exhibit-13) without any legitimate reason and also Registered Law professional are charging heavy unregulated fees which State do not accept for repayment and thus undersigned naturally restricted to hire the services of competent Registered Law Professional. Also this illegal promotion order is a clear fraud causing financial loss to the State Exchequer and need to be examined..

प्रस्तुत अपील में बकाया वेतन भत्तों के भुगतान करने के संबंध में कोई अनुतोष नहीं है। यह अपील आलोच्य पदोन्नति आदेश दिनांक 30.06.2020 के संबंध में है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विलंब से अपील प्रस्तुत अपील करने संबंधी आक्षेप प्रस्तुत करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रि–जोईन्डर में विलंब अवधि को स्पष्ट करने के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आलोच्य पदोन्नति आदेश दिनांक 30.06.2020 को अपास्त करने एवं कई विधिक एवं नीतिगत बिदुओं के संबंध में अनुतोष चाहा है। स्वयं के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

आलोच्य पदोन्नति आदेश दिनांक 30.06.2020 द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं हुई है। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा प्रस्तुत डीपीसी की कार्यवाही विवरण से स्पष्ट है कि डीपीसी की बैठक दिनांक 26.06.2020 में पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के प्रकरण पर विचार किया गया। सेवाभिलेख अपूर्ण होने के कारण इनके लिए पद रिक्त रखते हुए उनकी पदोन्नति का प्रकरण आस्थगित (Defer) किए जाने का निर्णय किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी बैठक में पूर्व पत्र दिनांक 17.06.2020 द्वारा अपीलार्थी से निर्धारित प्रपत्र में संतानों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। जारी पत्र एवं ई–मेल पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त सूचना के अभाव में डीपीसी द्वारा अपीलार्थी के पदोन्नति प्रकरण को एक पद रिक्त रखते हुए आस्थगित किया गया। सम्भवतः अभी भी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने के अभाव में अपीलार्थी का पदोन्नति प्रकरण लंबित है।

RCSAT, ACT 1976 की धारा 9 में Limitation के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

9. Limitation for appeals - (1) The Tribunal shall not admit an appeal –

(a) in a case, where a final order such as is mentioned in clause (a) of sub-section(2) of section 4A has been made in connection with the grievance, unless the appeal is preferred within six months from the date on which such order has been made.

(b) in a case, where an appeal or representation such as is mentioned in clause (a) of sub-section (2) of section 4a has been preferred or made and a period of six months has expired thereafter without such final order having been made, unless the appeal is preferred within six months form the date of expiry of the said period of six months or.

(c) in other cases, unless the appeal is preferred within six months from the date of the order against which appeal is preferred.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1) an appeal may be admitted after the period of limitation specified in sub-section (1) if the appellant satisfies the Tribunal that he has sufficient cause for preferring the appeal within such period.

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज (अनुलग्नक–10) एवं रि–जोईन्डर में लिखित विवरण के अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.06.2020 को एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिया गया, परन्तु इस पर हुई कार्यवाही का विवरण पत्रावली पर नहीं है। स्पष्ट है कि अपील धारा 9 में निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत की गई है एवं इस विलंब के संबंध में अपीलार्थी द्वारा विलंब की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि अपील चुनौतीग्रस्त आदेश जारी होने से लगभग 2 साल 9 माह बाद अत्यंत विलंब से प्रस्तुत की गई है एवं विलंब अवधि को स्पष्ट करने हेतु भी कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे की विलंबों के कारण को स्पष्ट किया जा सकता था। अतः अपील समयावधि के बाहर प्रस्तुत होने के आधार पर खारिज योग्य है।

उक्त विवेचनानुसार अपील अत्यंत विलंब से प्रस्तुत करने से समय सीमा से बाधित (Time barred) होने के आधार पर अस्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य